बिहार सरकार,
गन्ना उद्योग विभाग

पत्रांक–02/रेगु०–02–7013/2024– 527 ई०वि०/cc पटना, दिनांक– 12. दिसम्बर, 2025

प्रेषक,

अनिल कुमार झा, भा०प्र०से०,
ईखायुक्त, बिहार।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

द्वारा : आंतरिक वित्तीय सलाहकार, गन्ना उद्योग विभाग।

विषय : **विभागीय संकल्प संख्या–42 दिनांक–13.01.2025 के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा प्रगति यात्रा में की गई घोषणा के आलोक में राज्य में गन्ना कृषकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु पेराई सत्र 2025–26 के लिए निर्धारित ईख मूल्य के दर के अतिरिक्त 10.00 (दस) रू० प्रति क्विंटल की दर से ईख मूल्य भुगतान हेतु अनुमानित 70.00 (सत्तर) करोड़ रू० का अनुमान के आधार पर वहन राज्य सरकार द्वारा किये जाने की स्वीकृति एवं इसके अधीन वित्तीय वर्ष 2025–26 में बजट उपबंध अन्तर्गत 70.00 (सत्तर) करोड़ रू० का व्यय एवं अग्रिम निकासी की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय संकल्प संख्या–42 दिनांक–13.01.2025 के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा प्रगति यात्रा में की गई घोषणा के आलोक में राज्य में गन्ना कृषकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु पेराई सत्र 2025–26 के लिए निर्धारित ईख मूल्य के दर के अतिरिक्त 10.00 (दस) रू० प्रति क्विंटल की दर से ईख मूल्य भुगतान हेतु अनुमानित 70.00 (सत्तर) करोड़ रू० का अनुमान के आधार पर वहन राज्य सरकार द्वारा किये जाने की स्वीकृति एवं इसके अधीन वित्तीय वर्ष 2025–26 में बजट उपबंध अन्तर्गत 70.00 (सत्तर) करोड़ रू० का व्यय एवं अग्रिम निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. पेराई सत्र 2025–26 में चीनी मिलो द्वारा क्रय किये जाने वाले गन्ने की मात्रा पर 10.00 रू०/क्विंटल की दर से भुगतेय अतिरिक्त ईख मूल्य भुगतान हेतु अनुमानित मो० 70,00,00,000.00 (सत्तर करोड़) रूपये मात्र का भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में मुख्य शीर्ष–2852–उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–08–उपभोक्ता उद्योग, समूहशीर्ष–राज्य योजना, लघुशीर्ष–201–चीनी, उपशीर्ष–0103, विषयशीर्ष–3301–सब्सिडी, विपत्र कोड–45–2852082010103 अंतर्गत वर्तमान में कुल उपबंधित राशि मो० 76,87,63,950.00 (छिहत्तर करोड़ सतासी लाख तिरसठ हजार नौ सौ पचास) रू० में से विकलनीय होगा।

3. गत पेराई सत्र 2024–25 में गन्ना कृषकों को 10.00 रू०/क्विंटल की दर से ईख मूल्य का भुगतान हेतु CFMS 2.0 के माध्यम से पेयी आईडी बनाने काफी कठिनाई हुई थी एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा लगातार विभाग को पत्राचार किया गया था। इस सन्दर्भ में वित्त विभाग, बिहार, पटना से परामर्श प्राप्त किया गया था। वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा पत्रांक–2168, दिनांक–27.02.2025 के माध्यम से अन्य विकल्पों पर विचार करने हेतु परामर्श दिया गया था। फलस्वरूप विभाग द्वारा गत पेराई सत्र 2024–25 में गन्ना कृषकों को 10.00 रू०/क्विंटल की दर से ईख मूल्य का भुगतान हेतु अग्रिम निकासी की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। तदनुसार चालू पेराई सत्र 2025–26 के लिए भी अग्रिम निकासी की स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

4. संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आवंटित राशि के अनुसार अपने से संबंधित कोषागार से राशि की निकासी कर सकेंगे। कुल स्वीकृत राशि मो० 70,00,00,000.00 (सत्तर करोड़) रूपये के अधीन एवं बजट उपलब्धता के अनुसार आवंटित राशि के अन्तर्गत ही संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा राशि की अग्रिम निकासी की जायेगी। स्वीकृत राशि के अधीन आवश्यकतानुसार ही अग्रिम राशि की निकासी की जायेगी।

11/12/2025

Swikirtyadesh-4

5. वित्त विभाग के पत्रांक–7355 दिनांक–05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक–12888 दिनांक–03.12.2024 के आलोक में स्वीकृत की जा रही है।

6. निकासी की गई अग्रिम राशि को संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के कार्यालय बैंक खाता के माध्यम से किसानों के उसी बैंक खाता में राशि अंतरित की जायेगी जिस बैंक खाता में चीनी मिल के द्वारा ईख मूल्य का भुगताम किया गया है। चीनी मिल के द्वारा किसानों की सूची, उनसे क्रय किये गये गन्ना की मात्रा, किसानों का बैंक खाता संख्या, आई.एफ.एस.सी. कोड इत्यादि जिसमें चीनी मिल के द्वारा किसान को ईख मूल्य भुगतान किया गया है, संबंधित सूचना ईख पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। इसके लिए विभाग द्वारा पूर्व में भी प्रपत्र एवं समयसीमा निर्धारित है। किसानों के संबंध में दी गयी सूचना एवं उनको भुगतान किये जा रही राशि का विवरण चीनी मिल से प्राप्त सूचना पर आधारित है। अतएव इस संबंध में किसी प्रकार की अनियमितता होने पर संबंधित चीनी मिल के दखलकार जिम्मेवार होंगे।

7. भुगतान के पश्चात् भुगतान किये गये प्रमाण के साथ किसानों की सूची डी०सी० विपत्र के रूप में यथाशीघ्र समर्पित किया जाएगा। साथ ही जिस मद के विरूद्ध अग्रिम निकासी की जाएगी, उसी मद अंतर्गत व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में अग्रिम के रूप में निकासी की गई राशि का उपयोग किसी दूसरे कार्य के लिए नहीं किया जाएगा।

8. वित्त विभागीय पत्रांक–2561 वि (2) दिनांक–17.04.1998 एवं पत्रांक–2890 दिनांक–20.03.2023 के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी तथा प्रपत्र में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. उक्त स्वीकृति के प्रस्ताव पर संचिका सं०–02/रेगु०–02–7013/2024 के पृष्ठ संख्या–92/टि० पर दिनांक–24.09.2025 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार, गन्ना उद्योग विभाग की सहमति प्राप्त है।

10. वित्त विभागीय पत्रांक–2561 वि (2) दिनांक–17.04.1998 एवं पत्रांक–2890 दिनांक–20.03.2023 के आलोक में व्यय की स्वीकृति एवं अग्रिम निकासी प्रस्ताव पर संचिका सं०–02/रेगु०–02–7013/2024 के पृष्ठ संख्या–96/टि० पर दिनांक–05.12.2025 को माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

11. इस राशि का आवंटन आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह०/- 11/12/25

(अनिल कुमार झा)
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02/रेगु०–02–7013/2024– 5277 ईख०/ल पटना, दिनांक– 12 दिसम्बर, 2025

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर/गोपालगंज/बेतिया (प० चम्पारण)/मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण)/मुजफ्फरपुर/सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 11/12/25

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02/रेगु०–02–7013/2024– 5277 ईख०/ल पटना, दिनांक– 12 दिसम्बर, 2025

प्रतिलिपि–समाहर्त्ता, समस्तीपुर/गोपालगंज/बेतिया (प० चम्पारण)/मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण)/मुजफ्फरपुर/सीवान/सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 11/12/25

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02/रेगु०–02–7013/2024– 527 ई०/ए० पटना, दिनांक– 12. दिसम्बर, 2025

प्रतिलिपि– वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार/उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग/संयुक्त निदेशक, ईख विकास/संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना/सहायक ईखायुक्त, मुख्यालय/सहायक ईखायुक्त, उ० बिहार, मुजफ्फरपुर/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/रेगुलेटरी शाखा/बजट शाखा/लेखा शाखा, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ सभी विशेष ईख पदाधिकारी एवं ईख पदाधिकारी/प्रबंधक/महाप्रबंधक/कार्यपालक अध्यक्ष, राज्य की सभी कार्यरत चीनी मिलें/अध्यासी/महाप्रबंधक, प्रतापपुर (उ० प्रदेश) चीनी मिल/ महाप्रबंधक, सेवरही (उ० प्रदेश) चीनी मिल/सचिव, बिहार सुगर मिल्स एसोसियेशन (BSMA), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई० टी० प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

11/12/2025

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02/रेगु०–02–7013/2024– 527 ई०/ए० पटना, दिनांक– 12. दिसम्बर, 2025

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

11/12/2025

ईखायुक्त, बिहार।